

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय - 446, भूपालपुरा मेन रोड, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर तथा शाखा कार्यालय:- गांधी सेवा सदन के सामने, राजनगर, राजसमन्द - 313324 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री धर्मी चंद जैन - प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री बिहारी लाल गौरवा (ऋणी)
डी-50, गोविंद नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.)
 2. श्री कुलदीप गौरवा पिता श्री बिहारी लाल गौरवा (सहऋणी)
डी-50, गोविंद नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.)
 3. श्री भंवर सिंह राठौड़ पिता रत्न सिंह राठौड़ (जमानती)
डी-44 गोविंद नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.)
- अप्रार्थीगण**

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 35/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 24/11/2020</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कार्यालय:- गांधी सेवा सदन के सामने, किशोर नगर, राजनगर, राजसमन्द ने दिनांक: 16-10-2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार खाता संख्या 592606650000018 के द्वारा 4,35,000/- रुपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्क्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पति-श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री बिहारी लाल गौरवा के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पति मकान संख्या- D-50 जिसका क्षेत्रफल-90 वर्ग मीटर है जो गोविंद नगर, राजसमंद जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 31.07.2019 ऋण के भुगतान में व्यक्तिकम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 592606650000018 में बकाया रुपये 2,02,483.72 (अक्षरे दो लाख दो हजार चौर सौ तैरासी पैसे बहत्तर मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 30.09.2019 तक शेष व देय निकलते</p>	



है कि मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 28.11.2019 को एक नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये जो की अप्रार्थीगण को तामिल हो गए परंतु धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है। उक्त धारा 13 (2) का नोटिस प्रोपर तामिल हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो सम्पत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है : श्रीमती ईन्द्रा देवी पत्नी श्री बिहारी लाल गौरवा के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति मकान संख्या- D-50 जिसका क्षेत्रफल-90 वर्ग मीटर है जो गोविंद नगर, राजसमंद जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है :- पूर्व में मकान नम्बर D-3, उत्तर में :- मकान नं. D-1, दक्षिण में :- मकान नम्बर D- 49, पश्चिम में : - रोड उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांकित 31.03.2010 को उप पंजीयक राजसमंद द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी बैंक उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त चरण संख्या 05 में वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 28.11.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को प्रोपर तामिल करा प्राप्त रसीद विपक्षी स्वयं के द्वारा दी गई। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी यूनियन बैंक द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है - श्रीमती ईन्द्रा देवी पत्नी श्री बिहारी लाल गौरवा के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति मकान संख्या- D-50 जिसका क्षेत्रफल-90 वर्ग मीटर है जो गोविंद नगर, राजसमंद जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है :- पूर्व में मकान नम्बर D-3, उत्तर में :- मकान नं. D-1, दक्षिण में :- मकान नम्बर D- 49, पश्चिम में : - रोड उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांकित 31.03.2010 को उप पंजीयक राजसमंद द्वारा जारी किया गया है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी

M



न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजसमन्द को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित की जाकर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

